भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

आरबीआई/2025-2026/156
केका.डीपीएसएस.आरएलपीडी.सं.एस 1039/04-07-001/2025-2026 24 दिसंबर 2025

चेक ट्रंकेशन सिस्टम में भाग लेने वाले बैंकों के
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी /
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

प्रिय महोदया/महोदय,

चेक ट्रंकेशन सिस्टम में निरंतर समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान: चरण 2

कृपया चेक ट्रंकेशन सिस्टम में निरंतर समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान की शुरुआत से संबंधित दिनांक 13 अगस्त, 2025 के परिपत्र केका.डीपीएसएस.आरएलपीडी.सं.एस 536/04-07-001/2025-2026 का संदर्भ लें। परियोजना का पहला चरण 4 अक्तूबर 2025 को कार्यान्वित किया गया था।

2. उपर्युक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित सलाह दी जाती है:

i. बैंकों को अपने परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिक समय देने हेतु, चरण 2 का कार्यान्वयन अगली सूचना तक स्थगित किया जा रहा है।

ii. प्रस्तुति सत्र का समय संशोधित करके सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक कर दिया गया है और पुष्टिकरण सत्र का समय संशोधित करके सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक कर दिया गया है।

3. यह निदेश भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (अधिनियम 51, 2007) की धारा 18 के साथ धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।

भवदीय,

(सौरभ नाथ)
मुख्य महाप्रबंधक

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 14वी मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन,शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुम्बई - 400001
फोन Tel: (91-22) 2260 1000; फैक्स Fax: (91-22) 2265 9566; ई मेल-e-mail : cgmdpssco@rbi.org.in
Department of Payment and Settlement Systems, Central Office, 14th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai - 400001
हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए